न्यायालय– सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.), रानी, जिला– पाली

पीठासीन अधिकारी– श्री रवि कान्त सिंह (R.A.S.)
राजस्व मूल वाद संख्या–06/2018
निर्णय दिनांक 11/01/2022

वादिया–

1–कान्ता कंवर पत्नि स्व. महावीरसिंहजी, उम्र–34 वयस्क, जाति– चारण,

निवासी– राबडिया, तहसील– रानी, जिला– पाली (राज0)

–: विरूद्ध :–

प्रतिवादीगण–

1– रूकमण कंवर पत्नि करणीदानजी,
2– सज्जनसिंह पुत्र करणीदानजी,
3– हिम्मतसिंह पुत्र करणीदानजी,
समस्त वयस्क, जातिगण– चारण, निवासीगण राबडिया, तहसील– रानी
4– राजस्थान राज्य जरिये भूमिधरी तहसीलदार रानी, तहसील– रानी, जिला– पाली (राज0)

वाद अन्तर्गत धारा– 53, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति–
1–वकील श्री विजय राजपुरोहित वादीया की ओर से।
2–वकील श्री सुरेश मेहरा प्रतिवादीगण संख्या– 1 से 3 की ओर से।

–: निर्णय :– **दिनांक–11/01/2022**

(अन्तिम–डिक्री)

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि– वादिया की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा– 53, 89,188 राज0 काश्त0 अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि– मौजा ग्राम राबडिया तहसील रानी जिला पाली राज0 के खसरा नम्बर– 7 रकबा– 3.43 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कृषि भूमि वादिया एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा स्थित है। वादग्रस्त आराजी वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी की राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे दर्ज हैं वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 से 3 प्रत्येक का उक्त वादग्रस्त आराजी मे 5/18 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा निहित है। इस प्रकार से वादिया का वादग्रस्त आराजी मे 5/18 हिस्सा सहखातेदारी काश्त व कब्जा सुदा स्थित है।

––कमशः पेज– 2 पर.......

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) रानी

वादग्रस्त आराजी मे करणीदान की मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान रूकमण कंवर (पत्नि), सज्जनसिंह, हिम्मतसिंह (पुत्रगण), कान्ता कंवर पत्नि स्व.महावीरसिंह (पुत्रवधू), भंवर कंवर, राजु कंवर (पुत्रिया) प्रत्येक का 1/6 हिस्सा निहित हुआ। भंवर कंवर व राजु कंवर द्वारा दिनांक– 8–4–2011 को रजिस्टर्ड हकतर्क के जरिये अपना हिस्सा वादिया व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष मे हक तर्क करने तथा उसका इन्द्राज नामान्तरकरण संख्या– 286 दिनांक– 4–6–2011 के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने से वर्तमान मे वादग्रस्त आराजी मे वादिया, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक का 5/18 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा वादग्रस्त आराजी मे सहखातेदारी व कब्जा सुदा विद्यमान है। प्रतिवादीगण, वादीया के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न करते है एवं प्रतिवादीगण बंटवाडा करने हेतु तैयार नही हो रहे है। अतः वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाडा कर वादग्रस्त आराजी के वादीया के खातेदारी के 5/18 हिस्से का पृथक बंटवाडा कराये जाने तथा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण हाजा मे न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री पूर्व मे पारित की गई। जिस अनुरूप प्राथमिक डिक्री की पालना मे तहसीलदार, रानी द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

बंटवाडा प्रस्ताव पर वकील वादीया व प्रतिवादीगण को सुना गया। वकील वादीया व प्रतिवादीगण बंटवाडा प्रस्ताव से सहमत है एवं बंटवाडा प्रस्ताव के संबंध मे कोई आपति नही होना जाहिर करते हुए माफिक बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार वाद अंतिम डिक्री सादिर किये जाने का निवेदन किया गया। अतः माफीक डिक्री बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार वाद अंतिम डिक्री योग्य न्यायसंगत मानता हुं।

–: आदेश :–

अतः वादग्रस्त आराजियात मौजा सरहद ग्राम राबडिया तहसील रानी जिला पाली राज0 के खसरा नम्बर– 7 रकबा– 3.43 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल लगान रूपयां– 24.0100 का माफिक तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव व उसके संलग्न नक्शानुसार वाद मे अंतिम डिक्री निम्न प्रकार सादिर की जाती हैः–

(1)– कान्ता कंवर पत्नी महावीरसिंह, जाति–चारण, सा0 देह खातेदार–

खसरा नं0	**रकबा**	**किस्म**	**लगान रू0**
7/1	0.9527 हैक्टर	बारानी अव्वल	6.66
कुल खसरा– 01	कुल क्षेत्रफल– 0.9527 हैक्टर		कुल लगान–6.66

––क्रमशः पेज– 3 पर.......

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) रानी

(2)—रूकमण कंवर पत्नी करणीदान हिस्सा 3/13, जाति– चारण, सा. देह खातेदार, सज्जनसिंह पुत्र करणीदान हिस्सा 5/13, जाति–चारण, सा. देह खातेदार, हिम्मतसिंह पुत्र करणीदान हिस्सा 5/13, जाति– चारण, सा. देह खातेदार

खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान रू0
7	2.4773 हैक्टर	बारानी अव्वल	17.35
कुल खसरा–1	कुल क्षेत्रफल–2.4773 हैक्टर		कुल लगान– 17.35

उपरोक्तानुसार बंटवाडा की अंतिम डिकी सादिर की जाती है। प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव व उसके साथ सलग्न नक्शा को इस निर्णय डिकी का भाग माना जावे। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद एवं नक्शा मे तरमीमात किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

11/02/22
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) रानी
(S.D.O.) रानी

निर्णय आज दिनांक– 11/01/2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) रानी
(S.D.O.) रानी

–: मूल वाद मे अंतिम डिकी :–

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय– सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.), रानी जिला– पाली

पिठासीन अधिकारी– श्री रवि कान्त सिंह (R.A.S.)
राजस्व मूल वाद संख्या– 06/2018
तारीख निर्णय –11/1/2022

वादिया–

1–कान्ता कंवर पत्नि स्व. महावीरसिंहजी, उम्र– वयस्क, जाति– चारण, निवासी– राबडडिया, तहसील– रानी, जिला– पाली (राज0)

–: विरूद्ध :–

प्रतिवादीगण–

1–रूकमण कंवर पत्नि करणीदानजी,
2–सज्जनसिंह पुत्र करणीदानजी,
3–हिम्मतसिंह पुत्र करणीदानजी,
समस्त वयस्क, जातिगण– चारण, निवासीगण राबडिया, तहसील– रानी
4–राजस्थान राज्य जरिये भूमिधरी तहसीलदार रानी, तहसील– रानी, जिला– पाली (राज0)

वाद अन्तर्गत धारा– 53, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा नम्बर– राजस्व मूल वाद संख्या–06/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनिफिसाल कत्तई रूबरू हमारे वकील श्री विजय राजपुरोहित मिनजानिब मुद्धईयाएवं वकील श्री सुरेश मेहरा मिनजानिब मुद्धायलाहीम सं0–1 से 3 पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिगरी दी जाती है कि– मौजा ग्राम राबडिया तहसील रानी जिला पाली राज0 मे स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर– 7 रकबा– 3.43 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, लगान रूपयां–24.0100 का माफिक तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव व उसके संलग्न नक्शानुसार वाद मे अंतिम डिकी निम्न प्रकार की सादिर की जाती है–

(1)– कान्ता कंवर पत्नी महावीरसिंह, जाति–चारण, सा0 देह खातेदार–

खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान रू0
7/1	0.9527 हैक्टर	बारानी अव्वल	6.66
कुल खसरा– 01	कुल क्षेत्रफल–0.9527 हैक्टर		कुल लगान–6.66

––कमशः पेज– 2 पर.......

(S.D.O.)

(2)–रूकमण कंवर पत्नी करणीदान हिस्सा 3/13, जाति– चारण, सा. देह खातेदार, सज्जनसिंह पुत्र करणीदान हिस्सा 5/13, जाति–चारण, सा. देह खातेदार, हिम्मतसिंह पुत्र करणीदान हिस्सा 5/13, जाति– चारण, सा. देह खातेदार

खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान रू0
7	2.4773 हैक्टर	बारानी अव्वल	17.35

कुल खसरा–1 कुल क्षेत्रफल–2.4773 हैक्टर कुल लगान– 17.35

उपरोक्तानुसार बंटवाडा की अंतिम डिकी सादिर की जाती है। प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव व उसके साथ सलग्न नक्शा को इस निर्णय डिकी का भाग माना जावे। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद एवं नक्शा मे तरमीमात किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।
बरोज ++ मुबलिक ++ बाबत ++ मुकदमे मय सूद वच भाहर ++ फीस सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....++ .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख– 11 माह 01 सन् 2022

मोहर

दस्तखत 11/01/22
औहदा............ सहायक कलेक्टर (S.D.O.) [illegible]

मुद्दई	रूपयां पैसा	मुद्दायलास	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजान		मिजान	

नोट– इस खर्चे के फाम पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावे।